सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 138 / प्रा0पत्र / 2024

दायरा दिनांक :–11.07.2024

GCMS ID–2024 / 214

बउनवान

1. रामनाथ आयु 87 वर्ष आ. श्री बलदेव जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. खेमराज आ. मोहनलाल जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
2. धनराज आ. मोहनलाल जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
3. पृथ्वीराज आ. मोहनलाल जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
4. पेमा बाई पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
5. फुमा पुत्री देबी जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
6. बहादुर आ. मोहनलाल जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
7. बाला पुत्री मोहनलाल जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
8. कैलाश पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा, चावण्डिया।
9. बरधीलाल आ. रामकरण जाति मीणा निवासी बांण्डा मुजरा चावण्डिया।
10. गन्नी बाई पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी एक साजरा चावण्डिया।
11. रामराज आ. रामकरण जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
12. हमला बाई पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी बाड़ा मजरा चावण्डिया।
13. गंगादेवी पत्नी सोराज जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
14. दीपक आ. सोराज जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
15. सुनिता पुत्री सोराज जाति मीणा निवासी बाण्डा मजरा चावण्डिया।
16. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहून हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।

वकील अप्रार्थी :– एकतरफा।

आदेश

दिनांक :–30.01.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 53 ख.सं. 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1873 कुल किता 8 कुल रकबा 2.3471 हैक्टेयर वाके ग्राम चावण्डिया मीणो का पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज मे विरिथत है, जो प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमियों के अलगु–बगल अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 व अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 15 के पिता व पति सोराज की खातेदारी भूमिया ख.सं. 1856, 1858, 1859, 1860, 1861,

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1877, 1878, 1865, 1875, 1876, 1881, 1882, 1885, 1895, 1896 स्थित है। सोराज की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 15 है जिसको उक्त प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार है, लेकिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं पर कोई मुस्तकिन निशान नहीं होने से तथा सीमाबंधी के बाबत् कोई स्थायी चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमियो पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है तथा प्रार्थी की भूमि के अन्दर अपनी भूमिया बताते है, तथा आये दिन लडाई झगडा करते है। जिस कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर तारपेसिंग वगेरा नही करवा पा रहा है। प्रार्थी चाहता है कि अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओ पर तारपेसिंग कर सके। इस कारण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने पूर्व मे सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष आवेदन पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब के आदेश कमांक 172/भू.अ./2000 दिनांक 21.8.2001 की पालना में प्रार्थी की भूमियो का सीमाज्ञान किया गया था, परन्तु अप्रार्थी उक्त सीमाज्ञान को आज दिन तक मानने को तैयार नही हुये है, अभी दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर पूर्व ने तारपेसिंग नहीं कर पाया है. ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेसिंग करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 53 ख.सं. 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871,1872, 1873 कुल किता 8 कुल रकबा 2.3471 हैक्टेयर वाके ग्राम चावण्डीया मीणो का पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 16 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। बहस वकील प्रार्थी मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम चावण्डिया मीणों का पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 53 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1873 कुल किता 8 कुल रकबा 2.3471 हैक्टेयर वाके ग्राम चावण्डीया मीणो का पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/2026

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446